



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम मंज, क्षेत्र-II, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax 2376696
Email: roc.lko-mefc@gov.in, goimoeftolko@gmail.com

पत्र सं० ४बी/यूपी०/०६/२५१/२०२१/एफ०सी०/S-५१

दिनांक : 26.11.2021

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/59458/2020

विषय: जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं० ०.००० से ६१.५०० तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित ३४.६७२५ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक १११४ वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित १०.६२ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक १९४ वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित ४५.२९२५ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक १३०८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-१७४८/८१-२-२०२१-८००(१५१)/२०२१, लखनऊ, दिनांक-१२.११.२०२१

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

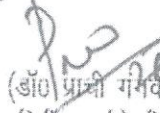
- 1- Administrative approval/sanction letter of the project needs to be submitted.
- 2- Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
- 3- The NET suitable area for plantation as per the GIS-DSS analysis is 43.24 ha. which is less than the actual required CA land area.
- 4- As per the SOI toposheet of the proposed diverted area, only the forest part polygon has been shown. SOI toposheet of complete proposed diverted area needs to be submitted in which properly demarcation of the forest, as well as Non-forest area.
- 5- In SOI toposheet visibility is poor, original SOI toposheet for area proposed for diversion and CA land (high dpi) needs to be resubmitted.
- 6- Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land area needs to be submitted.
- 7- Since the road passes through Kaimur Wild Life Sanctuary, hence it is proposed to inspect the site and date of Site inspection shall be communicated subsequently.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।


(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 1649 / 11-सी-FP/UP/Road/59458/2020, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 30, 2021

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।
